

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ.1748 सीसी/स्वा.का.पु./2019/164

दिनांक : 7/2/19

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1748 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2604 दिनांक 17.12.18 में प्रतिलिपि क्रमांक 6 में आंशिक संशोधन करते हुये "मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर" पदा जावे आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

दिनांक : 7/2/19

क्रमांक: एफ.1748 सीसी/स्वा.का.पु./2019/164

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. विलीय सहायक, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक/अजमेर।
7. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रयोगी सॉफ्ट रूम. कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर